न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री रतन बैरागी **बनाम** श्री गोपालदास बैरागी वगैराह

धारा 111—128 एल0आर0ए   मुकदमा 172 / 2022

18.04.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–172/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री रतन बैरागी(वैष्णव) आत्मज रामप्रसाद बैरागी निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोपालदास आत्मज मथुरादास बैरागी(वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री हरिशंकर आत्मज कानादास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री नन्दराम आत्मज भूरदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री मिठू आत्मज श्री भूरदास बैरागी(वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री प्रहलाद आत्मज श्री भूरदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री ओमप्रकाश आत्मज श्री राधेश्याम बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री शंकरदास आत्मज श्री बालूदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्री जगदीश आत्मज श्री बालूदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. श्री दरियावदास आत्मज श्री मुरारीदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. श्री बालू पिता मूला गाडरी निवासी खायड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. श्री रामनारायण आत्मज श्री सीतारामदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. श्री घनश्यामदास आत्मज श्री सीतारामदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. श्री देबीलाल आत्मज श्री देवकरण जाट निवासी खायड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
14. श्री लादूदास आत्मज श्री बंशीदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
15. परमेश्वर आत्मज श्री अम्बादास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
16. जगरीश बैरागी(वैष्णव) आत्मज रामप्रसाद बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
17. प्रेम बैरागी पत्नी श्री सम्पतदास बैरागी (वैष्णव) निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 18.04.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खायड़ा प0ह0 खायड़ा भू0अ0नि0 महुआकला तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 16/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर आराजी नम्बर 17/1 रकबा 0.3414 हैक्टयर आराजी नम्बर 259/3 रकबा 0.1897 हैक्टयर आराजी नम्बर 260/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर आराजी नम्बर 260/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.7714 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम खायड़ा प0ह0 खायड़ा भू0अ0नि0 महुआकला तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 16/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर आराजी नम्बर 17/1 रकबा 0.3414 हैक्टयर आराजी नम्बर 259/3 रकबा 0.1897 हैक्टयर आराजी नम्बर 260/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर आराजी नम्बर 260/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.7714 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम खायड़ा प0ह0 खायड़ा भू0अ0नि0 महुआकला तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 16/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर आराजी नम्बर 17/1 रकबा 0.3414 हैक्टयर आराजी नम्बर 259/3 रकबा 0.1897 हैक्टयर आराजी नम्बर 260/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर आराजी नम्बर 260/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.7714 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 200/–रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक महुआकलां 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः भू0अ0नि0 महुआकलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा